मंसुरी देवी व अन्य बनाम सचिव, नगर सुधार न्यास, अजमेर व अन्य

निगरानी/नं0/2020/01113

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2020/01113 अपी0 अधि0–श्री कृष्ण गोपाल खत्री अधि.– रेस्पो. 01 श्री हेमन्त विजय. अधि. रेस्पो. 02 श्री निर्मल जैन	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03-12-2020	प्रार्थीगण/निगरानीकर्त्तागण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र दिनांकित 01.12.2020 एवं नोट प्रेस किये जाने के प्रार्थना पत्र दिनांकित 13.11.2020 के आधार पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली वास्ते रेकार्ड तलबी हेतु दिनांक 11.01.2021 को नियत है। प्रार्थीगण/निगरानीकर्त्तागण अभिभाषक को उनके द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र व नोट प्रेस प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थीगण/निगरानीकर्त्तागण अभिभाषक द्वारा कमोबेश प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यो को ही दौहराते हुए निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण/निगरानीकर्त्तागण इस प्रकरण को आगे चलाना नही चाहते है। इस बाबत प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण को नोट प्रेस किये जाने का प्रार्थना पत्र गत पेशी दिनांक 23.11.2020 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था जिसमे निवेदन किया गया है कि निगरानी मे विवादित विषयवस्तु खसरा संख्या 241 ग्राम चोरसियावास की भूमि आवाप्ति के बदले अप्रार्थी संख्या 01 विभाग द्वारा प्रार्थीगण/निगरानीकर्त्तागण को विकसित भूमि इस शर्त पर दिये जाने का प्रस्ताव रखा गया है कि जब तक प्रार्थीगण/निगरानीकर्त्तागण इस याचिका को न्यायालय से नोट प्रेस नही कर लेते तब तक भूमि के बदले भूमि दिया जाना संभव नही है। अतएव इस कारण प्रार्थीगण/निगरानीकर्त्तागण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रकरण को नोट प्रेस किये जाने का प्रस्तुत किया गया था परन्तु प्रशासनिक कारणो के चलते प्रकरण की गत पेशी पर प्रकरण को नोट प्रेस नही किया जा सका व प्रकरण मे आगामी दिनांक 11.01.2021 नियत कर दी गई। चूकि प्रार्थीगण/निगरानी कर्त्तागण निगरानी को आगे चलाना नही चाहते है व अपने अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए इस प्रकरण को नोट प्रेस करना चाहते है क्योकि प्रकरण मे प्रशासनिक कारणो का भी निदान हो चुका है। अतः प्रार्थीगण/निगरानीकर्त्तागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को नोट प्रेस करने की अनुमति प्रदान की जावें। प्रार्थीगण/निगरानीकर्त्तागण के अधिवक्ता की बहस पर मनन एवं प्रार्थना पत्रो का अवलोकन किये जाने के उपरान्त मै इस नित्कर्ष पर पहुची हूँ कि प्रार्थीगण/निगरानीकर्त्तागण के प्रार्थना पत्र न्यायहित मे स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः न्यायहित में प्रार्थीगण/निगरानीकर्त्तागण अभिभाषक का प्रार्थना पत्र (1)शीघ्र सुनवाई दिनांकित 01[illegible] व (2) प्रकरण/निगरानी को नोट प्रेस किये जाने [illegible] प्रार्थना पत्र दिनांकित 23.11.2020 को न्यायहित में स्वीकार [illegible] अपील अपीलार्थी अब आगे नही [illegible] नोट प्रेस (Not Press) किये जाने के आधार पर यह निगरानी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम [illegible] तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। संभागीय आयुक्त अजमेर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.01.06 12:02:35 IST
Reason: SelfAttested